बिहार, सरकार
<u>विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,</u>

आदेश

पत्रांक :– **वि0प्रा0(II) पो0 सं0–08/2009** 746 /**पटना, दिनांकः–** 10/3/016

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–**2005** के अनुसार सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिकों/राजकीय महिला पोलिटेकनिकों/राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद में यंत्र/संयंत्र/उपकरण/सागग्रियों आदि के क्रय करने हेतु पूर्व में विभागीय पत्र संख्या–**2425** दिनांक–**03/08/88** द्वारा क्रय समिति गठित है।

वर्तमान में सभी संस्थानों एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद में अनुपयोगी सामानों का निस्तारण हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं था। विभागीय आदेश सं0–**1389** दिनांक–**09/06/2009** द्वारा अनुपयोगी सामानों के निस्तारण हेतु केवल राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के लिए आदेश निर्गत है। सम्यक विचारोपरान्त समरूपता के सिद्धांत के तहत अनुपयोगी सामानों के निस्तारण हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नियंत्राणाधिन सभी तकनीकी संस्थानों एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के लिए पूर्व में विभागीय पत्रांक–**2425** दिनांक–**03/08/88** के द्वारा गठित क्रय समिति के माध्यम से हीं अनुपयोगी सामानों के निस्तारण हेतु निम्न् नीति निर्धारित किया जाता है।

(I) बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली–**2005** में दिये गये निर्देश एवं विक्रय से संबंधित अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(II) समिति के माध्यम से हीं सामानों की सूंची मूल्य सहित तैयार किया जाना चाहिए। पूर्व में क्रय किये गये सामानों का मूल्य एवं वर्तमान में समिति द्वारा निर्धारित मूल्य **(Depreciated Value)** का स्पष्ट उल्लेख हों।

(III) समिति द्वारा निर्धारित इकाई वस्तु **(One Item)** का ह्रसित मूल्य **(Depreciated Value) 50,000=00 (पच्चास हजार तक मात्र)** तक के निलामी/अपलेखन करने की शक्ति सभी प्राचार्य अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित किया जाता है।

(IV) किसी इकाई वस्तु का ह्रसित मूल्य **(Depreciated Value) 50,000=00(पच्चास हजार मात्र)** से अधिक की हो तो उसकी अनुमति विभाग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(V) यदि किसी वस्तु के मूल्य निर्धारित करने में कठिनाई हो तो प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक एवं सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद अपने स्तर से विषय विशेषज्ञ आमंत्रित कर वस्तु का उचित ह्रसित मूल्य **(Depreciated Value)** निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित मूल्य को क्रय समिति के समक्ष उपस्थापित करना होगा एवं उसकी स्वीकृति क्रय समिति से प्राप्त कर हीं अग्रेतर कार्रवाई करना होगा।

(VI) निलामी/अपलेखन/सामानों के विक्रय से प्राप्त राशि को कोषागार में जमा करना अनिवार्य होगा।

C:\Users\NI\Desktop\04-03-2016\Letter 04-03-2016 Nadasak Science & Technology Depp. Addesh.Docx

09.03.16

(2) उपरोक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है।

(3) यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

09.03.16

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **वि0प्रा0(II) पो0 सं0–08/2009** 746 /पटना, दिनांक :– 10/3/016
प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.16

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **वि0प्रा0(II) पो0 सं0–08/2009** 746 /पटना, दिनांक :– 10/3/016
प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.16

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **वि0प्रा0(II) पो0 सं0–08/2009** 746 /पटना, दिनांक :– 10/3/016
प्रतिलिपि :– प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.16

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **वि0प्रा0(II) पो0 सं0–08/2009** 746 /पटना, दिनांक :– 10/3/016
प्रतिलिपि :– विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारियों/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.16

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **वि0प्रा0(II) पो0 सं0–08/2009** 746 /पटना, दिनांक :– 10-3-2016
प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव एवं आई0टी0 मेनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.16

निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।